No.13/1/2006-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

RECEIVED 22 DEC 2009 MINISTRY OF HEALTH & F.W.

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market, New Delhi-110511
Dated the 14th December, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Amendment to Rule 12 of GPF (CS) Rules, 1960 – Issue of Notification dated 22nd September, 2009, published in the Gazette of India on 3rd October, 2009 - regarding.**

…………

The undersigned is directed to enclose a copy of Notification No. S.O. 2689 dated 22nd September, 2009, published in the Gazette of India on 3rd October, 2009 on the subject cited above and to request that the contents thereof may please be brought to the notice of all offices under their control for information and compliance.

(RAJ SINGH)
DIRECTOR
TEL: 24624752

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-04/2007/2009—09

REGD. NO. D. L.-04/2007/2009—09

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2009, शनिवार/आश्विन 5—आश्विन 11, 1931

No. 40] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2009, SATURDAY/ASVINA 5—ASVINA 11, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

का.आ. 2689.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) ऐसे स्थानों के दर्शनार्थ, जो मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान होने पर कि वे स्थान तीर्थयात्रा के स्थान या किसी धार्मिक प्रतिष्ठा के स्थान समझे जाते हैं, होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।"

[फा. सं.-1/1/2006-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)]

राज सिंह, निदेशक

पाद टिप्पण : साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3000, तारीख ... दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किया गया :